राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश
लिंक रोड–3, पत्रकार कॉलोनी, भोपाल

क्र.–7 / टीकाकरण / 2021 / 626 भोपाल, दिनांक : 04/05/2021

प्रति,

1. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,**
2. **समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी,**

मध्यप्रदेश।

विषयः–5 मई 2021 से 18–44 वर्ष आयुवर्ग के नागरिकों का कोविड–19 टीकाकरण प्रारम्भ करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः–सचिव भारत शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1920764/2020-Imm. 23/4/2021.

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि प्रदेश में **18 से 44 वर्ष आयुवर्ग** के नागरिकों का **टीकाकरण 5 मई से प्रारम्भ** किया जाये। इस हेतु निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करें :–

1. दिनांक 1.5.2003 के पूर्व जन्में सभी नागरिक कोविड–19 टीकाकरण के लिये पात्र हितग्राही होंगे।
2. पात्र हितग्राहियों को कोविड–19 टीकाकरण कराने हेतु प्री–रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल (https://selfregistration.cowin.gov.in) अथवा आरोग्य सेतु मोबाईल एप के माध्यम से कराना अनिवार्य होगा।
3. 18–44 वर्ष आयुवर्ग के नागरिकों का टीकाकरण सत्र पर ऑन साईट रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा।
4. **दिनांक 5 से 15 मई तक, 18–44 वर्ष आयुवर्ग के नागरिकों के टीकाकरण हेतु आयोजित होने वाले कोविड–19 टीकाकरण सत्रों में Other than Govt. of India चैनल से प्राप्त कोवैक्सीन का ही उपयोग किया जाये।**
5. कोविड–19 टीकाकरण सत्र नॉन कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स (शासकीय स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कम्युनिटी हॉल इत्यादि) पर ही आयोजित किये जायें।
6. 18–44 वर्ष आयुवर्ग के नागरिकों के लिये प्राप्त वैक्सीन का भंडारण, खर्च का हिसाब पृथक से रखा जावे।
7. कोविड–19 टीकाकरण केन्द्रों पर ए.ई.एफ.आई. प्रबंधन के निर्देशों का पालन किया जायें।
8. प्रदेश के समस्त कोविड–19 टीकाकरण केन्द्रों पर कोविड–19 टीकाकरण निःशुल्क किया जायेगा।
9. सत्र संचालन हेतु कोविड–19 बचाव गाईड लाईन का पालन करना सुनिश्चित करें।
10. टीकाकरण हेतु आने वाले समस्त नागरिकों की पल्स ऑक्सीमीटर एवं इन्फारेड थर्मामीटर से स्क्रीनिंग की जाये।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश